न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, मऊ।

पीठासीन अधिकारीः– बाकर शमीम रिज़वी (एच0 जे0 एस0)

ID No.–UP6398

UPMA010007822016

सत्र परीक्षण संख्याः–74/2016

राज्य–––––––––बनाम––––––––कमलेश खरवार आदि

मुकदमा अपराध सं०–141/2011

अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम,

व 272, 273 भा०दं०सं०

थाना–हलधरपुर, जिला मऊ।

वादी मुकदमा/उप निरीक्षक	श्री दीपचन्द्र मौर्य
उ०प्र० राज्य की ओर से प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता	1–श्री नन्दलाल भारती, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
बचाव अधिवक्ता	श्री राकेश कुमार सिंह
घटना का दिनांक व समय	18.03.2011 समय 01.00 बजे
वाद दाखिला का दिनांक/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का दिनांक व समय	18.03.2011 समय 02.45 बजे
आरोप विरचित होने का दिनांक	27.05.2016
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने का दिनांक	02.08.2018
अभियुक्तगण का बयान अंकित होने का दिनांक	01.06.2026
बचाव साक्ष्य का दिनांक	––
न्यायालय साक्ष्य का दिनांक	––
अभियुक्तगण का नाम विवरण	1–कमलेश खरवार पुत्र हेतु खरवार, निवासी कुसमौर, थाना सराय लखंसी, जनपद मऊ। 2–धर्मेन्द्र मौर्य पुत्र शिव कुमार मौर्य, निवास इमिलिया चांदमारी, थाना सराय लखंसी, जनपद मऊ। 3–रामविजय पाल पुत्र लिलेराम, निवासी हाफिजपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ।

Digitally signed by BAQUAR SHAMIM RIZVI
Date: 2026.06.19 07:26:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के गवाहों की सूची

1–अभियोजन पक्ष के साक्षीः–

अभियोजन साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी व अन्य साक्षी)
पी०डब्लू०–1	दीपचन्द्र मौर्य	उपनिरीक्षक/पुलिस साक्षी
पी०डब्लू०–2	रामकेश शास्त्री	पुलिस साक्षी
पी०डब्लू०–3	रामबचन	पुलिस साक्षी
पी०डब्लू०–4	रामबचन यादव	पुलिस साक्षी

2–बचाव पक्ष के साक्षीः–

प्रतिरक्षा साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी व अन्य साक्षी)
---	---	---

3–न्यायालय साक्षी, यदि कोई होः–

न्यायालय साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी व अन्य साक्षी)
---	---	---

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के प्रदर्शों की सूची

1–अभियोजन प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श क–1	फर्द बरामदगी
2	प्रदर्श क–2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श क–3	कायमी जी.डी.
4	प्रदर्श क–4	नक्शा नजरी घटनास्थल
5	प्रदर्श क–5	आरोप पत्र

2–बचाव प्रदर्श–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
---	---	---

3–न्यायालय प्रदर्श–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
---	---	---

4–वस्तु प्रदर्श–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	वस्तु प्रदर्श-1 व 2	बरमादशुदा शराब

निर्णय

(1) प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में अभियुक्तगण कमलेश खरवार, धर्मेन्द्र मौर्य एवं रामविजय पाल के विरूद्ध थाना हलधरपुर, जिला मऊ की पुलिस द्वारा थाना हाजा के मुकदमा अपराध संख्या 141/2011 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272, 273 भा०दं०सं० के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किये जाने पर तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुये उक्त मामला सत्र परीक्षणीय होने के नाते दिनांक 25.04.2016 को माननीय जनपद न्यायाधीश, जनपद मऊ को सत्र सुपुर्द किया गया। प्रश्नगत आपराधिक प्रकरण विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायाधीश, मऊ के आदेश से अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

(2) संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/उप निरीक्षक दीपचन्द्र मौर्य ने दिनांक 18.03.2011 को थाना हलधरपुर जनपद मऊ में इस आशय की फर्द प्रदर्श क–1 दिया कि उक्त तिथि को वह मय हमराहियान के साथ देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित व रात्रि गश्त करता हुआ पहसा चट्टी पर मौजूद था कि जरिये मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक वाहन मारूति सुजुकी नम्बर एम.एच. 01–पी–5936 अपमिश्रित शराब के साथ ग्राम मजौली के पास सड़क के उत्तर नीचे खेत में पलट गया और उसका चालक घायल हो गया। उक्त सूचना पर मौके पर गये तो एक व्यक्ति घायल अवस्था में खेत में गिरा पड़ा तथा उक्त वाहन भी क्षतिग्रस्त होकर पलट गया है। उक्त वाहन की तलाशी लेने पर उसमें रखे एक ड्रम में 200 लीटर ओ.पी. शराब, एक ड्रम में 200 लीटर अपमिश्रित शराब नाजायज व तीन झोले में अलग–अलग यूरिया, फिटकरी, नौसादर बरामद हुआ। उक्त घायल व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कमलेश खरवार बताया और कहा कि उक्त वाहन बकरे के बचाने में पलट गया और मेरे दो साथी विजयपाल एवं धर्मेन्द्र मौर्य डर के मारे मौके से भाग गये हैं। उक्त बरामद अपमिश्रित शराब व शराब बनाने की सामग्री को अलग–अलग सील मुहर कर नियमानुसार फर्द तैयार किया। अभियुक्त कमलेश खरवार को कारण गिरफ्तारी बताकर कि यह कार्य अवैध है, धारा 60 आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273 भा०दं०सं० के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया। उपर्युक्त कथन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की याचना की गयी है।

(3) उक्त लिखित फर्द बरामदगी के आधार पर थाना हलधरपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 141/2011 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272, 273 भा०दं०सं० बनाम कमलेश खरवार व तीन अन्य दर्ज हुयी। विवेचनोपरान्त विवेचक ने अभियुक्तगण कमलेश खरवार, धर्मेन्द्र मौर्य एवं रामविजय पाल के विरूद्ध आरोप पत्र मुकदमा अपराध संख्या 141/2011 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272, 273 भा०दं०सं० प्रेषित किया।

(4) तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश, मऊ द्वारा दिनांक 27.05.2016 को अभियुक्तगण कमलेश खरवार, धर्मेन्द्र मौर्य एवं रामविजय पाल के विरूद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम, 272, 273 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(5) अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गये आरोपों पर विचार–विमर्श करने से पूर्व अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किये गये गवाहों के बयानों का अवलोकन किया जाना विधियुक्त है, जिनके मुख्य्य परीक्षा इस प्रकार हैः–

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी० डब्ल्यू०–1 दीपचन्द्र मौर्य,** उप निरीक्षक, ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 18.03.2011 को बतौर उपनिरीक्षक थाना हलधरपुर, जनपद मऊ में तैनात था। उस दिन हमराहीगण के साथ पहसा चट्टी पर एस.ओ. साहब को जब यह मुखबिर खास से सूचना मिली कि मझवरी के पास एक मारुति सुजकी गांव के पास सड़क के उत्तर पलट गयी है, जिस पर शराब लदी है, जिसको विजय पाल अपने साथी कमलेश खरवार व रमेश के साथ लेकर अपने गांव हाफिजपुर जा रहा था, मारुति सुजकी का नं० MH01P 5936, 800 है। मुखबिर की सूचना पर एस.ओ. साहब मय जीप सरकारी मय हमराही के साथ व मुखबीर के साथ मौके पर पहुंचा, मौके पर मारुति सुजकी क्षतिग्रस्त हालत में पलटी हुई थी तथा ड्राइवर कमलेश खरवार घायल हालत में पड़ा था। मारुति सुजकी के अन्दर दो ड्रम के साथ तीन झोले में नौसादर, फिटकरी और यूरिया रखी हुई थी। जब ड्राइवर से पूछा गया तो बताया कि मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे साथी विजय पाल व धर्मेन्द्र मौर्य तथा रमेश शराब को लेकर जा रहे थे कि रास्ते में एक बकरा आ गया, जिसको बचाने में मेरी गाड़ी पलट गयी। मैं घायल हो गया। मेरे साथी डर के मारे भाग गये। मौके पर पहुंच कर माल तथा गाड़ी को एस.ओ. साहब ने अपने कब्जे में लिया था। बरामद शुदा दोनों ड्रम से दो–दो लीटर शराब निकालकर अलग–अलग जरिकैन में सील मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया। ड्राइवर को घायल अवस्था में हमराही कर्मचारी के साथ अस्पताल रवाना किया गया। एस.ओ. साहब द्वारा टार्च की रोशनी में मुझसे लिखवाया, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जो पत्रावली में संलग्न कागज सं०

5क है, जो मेरे सामने आज है, उसको मैं तस्दीक करता हूं, जो मेरे लेख में है। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। यह घटना दिनांक 18.03.2011 को करीब एक बजे रात की है। फर्द की नकल अभियुक्त कमलेश को दी गयी थी। दौरान गिरफ्तारी मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों का पालन किया गया। दौरान गिरफ्तारी गांव के काफी लोग आ गये थे तो उन्हें गवाही देने को कहा तो वे लोग कहे कि ये लोग शराब तस्कर हैं, इनके खिलाफ गवाही नहीं देंगे। फर्द पर सभी पुलिस कर्मचारी को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाया गया था। बरामद शुदा अपमिश्रित शराब ड्रम सहित लादकर थाने पर दाखिल किया गया और पकड़े गये अभियुक्त को घायल होने के कारण अस्पताल भेजा गया। बरामद माल नीले रंग के ड्रमों को जिसे मौके पर सील मुहर किया गया और उसमें से निकाल कर नमूना मुहर तैयार किया गया था। आज आया है, जिसे मैं देखकर तस्दीक करता हूँ। यह वहीं बरामद शुदा अपमिश्रित शराब है जो दिनांक 18.03.2011 को दुर्घटना ग्रस्त गाड़ी व घायल अभियुक्त कमलेश की गाड़ी से बरामद हुई थी, जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। बरामद शुदा माल नौसादर, यूरिया व फिटकरी को भी मौके पर सील मुहर किया गया था, जिसे थाने की आख्या के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी भेजा गया है। थाने से आख्या प्राप्त है, जिस पर कागज सं० 30ख डाला गया। विवेचक ने मुझसे पूछताछ किया था। मेरा बयान लिया था।

(7) **पी० डब्ल्यू०–2 रामकेश शास्त्री, मुख्य आरक्षी** ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 18.03.2011 को मैं थाना हलधरपुर जनपद मऊ में आरक्षी के पद पर तैनात था कि उक्त तिथि को ही थानाध्यक्ष हलधरपुर संदीप सिंह के साथ मैं व अन्य हमराहीगण जीप सरकारी UP 70 AG 0028 चालक शमशेर बहादूर सिंह रात्रि में गश्त पर थे कि पहसा चट्टी पर हम लोग मौजूद थे। मुखबिर से सूचना मिली कि विजयपाल अपने साथी कमलेश खरवार व रमेश के साथ मारूति सुजुकी MH 01 P 5936 – 800 में एक ड्रम ओपी शराब व शराब मिश्रण सामग्री को बालिया से अपने गांव हाफिजपुर ले जा रहा था, जो ग्राम मझौली के पास सड़क के उत्तर नीचे खेत में पलट गयी है, जिसका चालक घायल हो गया है और गाड़ी मय शराब वही पड़ा है। सूचना पर विश्वास करके तत्काल मझौली गांव उपस्थित आया तो मुखबीर ने जाकर गाड़ी को दिखाया। टार्च की रोशनी में देखा गया तो एक व्यक्ति गाड़ी के पास धनिया के खेत में घायल अवस्था में पड़ा है। मारूति भी क्षतिग्रस्त थी। गाड़ी के नम्बर प्लेट को देखा गया तो जिस पर MH 01 P 5936 अंकित है। मारूति 800 गाड़ी है, जिसमें दो ड्रम शराब व तीन झोले में यूरिया नौसादर, फिटकरी रखा है। घायल व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना कमलेश खरवार पुत्र हेतु खरवार, निवासी कुशमौर थाना सराय लखंसी बताया। शराब के बारे में पूछा गया तो बताया

कि मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे साथी विजयपाल व धर्मेन्द्र मौर्य तथा रमेश जिसका पता मालूम नहीं। हम चारो लोग बलिया से एक ड्रम शराब उपमिश्रित, एक ड्रम ओपी गाड़ी में लाद कर ले जा रहे थे जो कि सड़क पर एक बकरा आ गया, जिसे बचाने में हमारी गाड़ी पलट गयी। मुझे चोट आ गयी। मेरे सभी साथी भाग गये। माफी मांगते हुये कहा कि होली के अवसर पर हम लोग लेकर जा रहे थे, जो अपमिश्रण करके ज्यादा शराब तैयार कर बेचा जाता है। अपमिश्रण में यूरिया, नौसादर, फिटकरी को मिलाकर तैयार करते हैं, जो झोले में था। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी व गाड़ी की लाईट के सामने 1.00 बजे रात को एस.ओ. साहब ने बोलकर एस.आई. दीपचन्द्र मौर्य से लिखवाया था। अभियुक्त को पुलिस हिरासत लेकर अन्तर्गत धारा 272, 273 भा.दं.सं. व धारा 60 आबकारी अधिनियम व एम.वी. एक्ट में गाड़ी का चालान किया गया। अभियुक्त कमलेश खरवार को प्राथमिक उपचार के लिए आरक्षी हरिशचन्द्र व राजेश यादव की देख–रेख में जिला अस्पताल में भेजा गया। फर्द कागज सं० 5क/1 शामिल पत्रावली है, जिस पर मेरे व थानाध्यक्ष व हमराही कर्मचारीगण तथा अभियुक्त के भी हस्ताक्षर है, जिस पर पूर्व में ही प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है। साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया। फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

(8) **पी० डब्ल्यू०–3 रामबचन यादव, मुख्य आरक्षी** ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 18.03.2011 को वह थाना हलधरपुर, जनपद मऊ में रात्रि को कार्य लेख पर डियूटी में मौजूद था। समय लगभग 02.45 बजे एस.ओ. संदीप सिंह मय हमराह अधिकारी कर्मचारी एस.आई. दीपचन्द्र मौर्य के हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में एस.ओ. संदीप कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित लिखित फर्जी मुझे प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध सं० 141/11 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम एवं धारा 272, 273 भा.दं.सं. में समय लगभग 02.45 पर जिल्द सं० 36/11 पर अपने हस्तलेख में अंकन करते हुये अपना हस्ताक्षर बनाकर थाना हलधरपुर को मुहर लगाया, जो पत्रावली में कागज सं० 4क/1 लगायत 4क/2 शामिल पत्रावली है, जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। जिसका अंकन नकल रपट सं० 2 समय 02.45 बजे रोजनामचा पर उसी दिनांक को उप०नि० दीपचन्द्र मौर्य द्वारा किया गया था। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। हम लोग एक साथ थाना हलधरपुर पर तैनात थे, जिससे उनको लेख व हस्ताक्षर को भली–भांति पहचानता हूँ। कागज सं० 7क/1 को देखकर साक्षी ने लेख वह हस्ताक्षर को तस्दीक किया, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। मेरे बयान विवेचक द्वारा लिया गया था।

(9) **पी० डब्ल्यू०-4 रामबहादुर यादव, उ०नि०** ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 18.03.2011 को मैं थाना हलधरपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन थाना कार्यालय पर मुकदमा अपराध सं० 141/2011, धारा 60 आबकारी अधिनियम एवं धारा 272, 273 भा.दं.सं. बनाम कमलेश खरवार आदि पंजीकृत होकर विवेचना हेतु नकल चिक व नकल रपट के साथ अन्य कागजात उक्त मुकदमे की विवेचना हेतु मुझे प्राप्त हुई। मैंने उसी दिन पर्चा नं० 1 में नकल चिक व नकल रपट का अवलोकन कर अंकन केस डायरी में किया तथा एफ.आई.आर. लेखक रामबचन यादव अभियुक्त कमलेश खरवार से पूछताछ कर उसका बयान केस डायरी में अंकन किया तथा कमलेश खरवार अस्पताल में भर्ती था। उपचार उपरांत लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड प्राप्त किया। दिनांक 19.03.2011 को वादी मुकदमा एस.ओ. संदीप सिंह व एस.आई. दीपचन्द्र मौर्य, फर्द गवाह आरक्षी प्रेम सागर सिंह, आरक्षी अनूप राय, आरक्षी राजेश यादव, आरक्षी रामकेश शास्त्री व अन्य से पूछताछ कर उनका बयान अंकित किया। सभी लोगों ने घटना का समर्थन किया। दिनांक 21.03.2011 को पुनः विवेचना में व्यस्त होकर गांव मझौली के लोगों कैलाश चौहान, सुनील चौधरी, श्रीमती चन्द्रावती से पूछताछ कर उनका बयान केस डायरी में अंकित किया तथा एस.आई. दीपचन्द्र मौर्य के निशानदेही घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा घटना के बावत अन्य लोगों से पूछताछ कर बयान अंकित किया। वह नक्शा नजरी कागज सं० 13क/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। पुनः दिनांक 05.04.2011 को विवेचना में व्यस्त होकर अभियुक्त धर्मेन्द्र मौर्य की तलाश किया, उसका अंकन मय अपराधिक इतिहास केस डायरी में किया था। दिनांक 06.04.2011 की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 11.04.2011 को बरामद अवैध शराब को माननीय न्यायालय के आदेश से डाकेट तैयार कर जांच हेतु रामनगर वाराणसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा तथा अंकन केस डायरी में किया था। दिनांक 13.04.2011 को अभियुक्त विजय पाल की गिरफ्तारी की रोक का स्थगन आदेश मा० उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ है। उसका अवलोकन कर दिनांक 14.04.2011 को सी.डी. में पर्चा 10 में अंकन किया। दिनांक 29.04.2011 को विवेचना में व्यस्त होकर अभियुक्तगण को अंतरिम जमानत की सूचना का अवलोकन कर केस डायरी में अंकन किया तथा दिनांक 03.05.2011 को अभियुक्त धर्मेन्द्र मौर्य व रामविजय पाल से पूछताछ कर उनका बयान सी.डी. में अंकन किया। दिनांक 15.05.2011 को तमामी विवेचना व साक्ष्य संलकन के आधार पर अभियुक्तगण कमलेश खरवार, धर्मेन्द्र मौर्य व रामविजय पाल उर्फ विजय पाल के विरूद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम व धारा 272,

273 भा.दं.सं. का अपराध पाते हुए आरोप पत्र सं० 55/11 न्यायालय प्रेषित किया। वह आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं० 3क/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

(10) अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त ने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में घटना को झूठा बताते हुये कहा कि साक्षीगण द्वारा गलत एवं झूठा बयान दिया गया है साथ ही अभियुक्तगण ने मुकदमा रंजिशन चलाया जाना बताते हुये स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

(11) सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तार से सुना तथा संलग्न सुसंगत प्रपत्रों एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया।

(12) बचाव पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। आपराधिक मामले में अभियोजन कथन को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष का होता है।

(13) इस निमित्त विधि निर्णय **धनपाल बनाम राज्य** 2009 (69) **ए.सी.सी. पृष्ठ** 697 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि आपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करे तथा यह न्यायालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें, जैसा अभियोजन कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाय। साथ ही किसी प्रकार के अभिवृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार उक्त विधिक दृष्टांतों के आलोक में प्रस्तुत मामले पर विचार किया जाना है।

(14) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण की समस्त कार्यवाही झूठी है तथा असत्य कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के पास से गलत बरामदगी दिखाई गयी है तथा अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये समस्त साक्षीगण पुलिस कर्मचारी है। ऐसी स्थिति में उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है, जिसके नाते अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

(15) अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का घोर विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा/आबकारी निरीक्षक व अन्य पुलिस कर्मी द्वारा अभियुक्तगण के पास उल्लिखित माल मौके से बरामद की गयी है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्षियों के साक्ष्य से बखूबी साबित है। बरामद माल का फर्द मौके पर तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

(16) प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 272, 273 भा.दं.सं. व धारा 60 आबकारी अधिनियम का आरोप भी विरचित किया गया है।

(17) प्रस्तुत सत्र परीक्षण, जो मुख्यतः 272 भा.दं.सं से संबन्धित है, इस परिप्रेक्ष्य में धारा 272 विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय के अपमिश्रण को दण्डित करती है। धारा के अधीन हर व प्रत्येक प्रकार का अपमिश्रण दण्डनीय अपराध नहीं है। केवल खाने या पीने की उसी वस्तु का अपमिश्रण इस धारा के अन्तर्गत अपराध है, जिसमें अपमिश्रण इस आशय से किया जाता है कि ऐसी वस्तु की खाद्य या पेय के रूप में बेचे जाने को सम्भाव्यता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत प्रस्तुत धारा 272 केवल मानवीय खाद्य या पेय के बिक्री के लिए आशयित नहीं है। इसके अधीन पशु आदि के लिए बिक्री हेतु आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण भी आता है। यही कारण है कि इस धारा में वाक्यांश "किसी खाने या पीने की वस्तु" का उल्लेख है।

धारा 272 के मुख्य संघटक निम्नवत् हैं–

(1) यह है कि प्रश्नगत वस्तु एक खाद्य या पेय है।
(2) यह कि इसको अभियुक्त ने अपमिश्रित किया था।
(3) यह कि उक्त अपमिश्रण ने इसे खाद्य या पेय के रूप में अपायकर(noxious) बना दिया था।
(4) यह कि अभियुक्त ने उक्त वस्तु को इस आशय से अपमिश्रित किया था कि इसे खाद्य या पेय के रूप में बेचा जाएगा।

(18) अभियोजन द्वारा यह सिद्ध किया जाना अनिवार्य है कि प्रश्नगत वस्तु का अपमिश्रण इस आशय से किया गया था कि इसको खाद्य या पेय के रूप में बेचा जा सके। ***[विधि निर्णय सुलेमान शामजी प्रति एम्परर, ए.आई.आर. 1943 बम्बई 445]***

यह स्थापित करने के लिए कि धारा 272, भा०दं०सं० के अधीन अपराध कारित हुआ है, अभियोजन को यह साबित करना होगा कि– (i) प्रश्नगत पदार्थ खाद्य या ऐसा पेय था, जो जीवित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आशयित था, (ii) यह कि अभियुक्त ने इसे अपमिश्रित किया था, (iii) यह कि ऐसे अपमिश्रण ने इसे खाद्य अथवा पेय के रूप में अनुपयुक्त (noxious) बना दिया था, तथा (iv) यह कि अभियुक्त ऐसे अपमिश्रण के समय ऐसे खाद्य या पेय को खाने या पीने की वस्तु के रूप में बेचने का आशय रखता था अथवा वह सम्भाव्य जानता था कि ऐसी वस्तु खाने या पीने की वस्तु के रूप में बेची जाएगी।

किसी वस्तु को अपायकर(noxious) बनाने से अभिप्रेत इसे विषैला अथवा हानिकारक अथवा दोनों बनाना है। स्पष्ट है कि इस धारा के अधीन अपराध पूर्ण हो जाता है, जैसे ही अपमिश्रण वाला पदार्थ ऐसे खाद्य या पेय में मिलाया जाता है, बशर्ते कि ऐसा खाद्य या पेय वास्तव में बेचने के लिए है या जिसके बेचे जाने की सम्भाव्यता है।

अपमिश्रण का अपराध मात्र किसी विषैले अर्क या एरक(arrack) *के कब्जे से धारा* 272 *के अधीन कारित हो जाता है।* ***[विधि निर्णय जोसफ कुरियन जोसे प्रति केरल राज्य, 1995 क्रि.लॉ. जर्नल 502(एस.सी.)]***

(19) इस परिप्रेक्ष्य में सार–संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 18.03.2011 को मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक वाहन मारूति सुजुकी नम्बर एम.एच. 01–पी–5936 अपमिश्रित शराब के साथ ग्राम मजौली के पास सड़क के उत्तर नीचे खेत में पलट गया और उसका चालक घायल हो गया। उक्त सूचना पर मौके पर गये तो एक व्यक्ति घायल अवस्था में खेत में गिरा पड़ा तथा उक्त वाहन भी क्षतिग्रस्त होकर पलट गया है। उक्त वाहन की तलाशी लेने पर उसमें रखे एक ड्रम में 200 लीटर ओ.पी. शराब, एक ड्रम में 200 लीटर अपमिश्रित शराब नाजायज व तीन झोले में अलग–अलग यूरिया, फिटकरी, नौसादर बरामद हुआ। उक्त घायल व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कमलेश खरवार बताया और कहा कि उक्त वाहन बकरे के बचाने में पलट गया और मेरे दो साथी विजय पाल एवं धर्मेन्द्र मौर्य डर के मारे मौके से भाग गये हैं। उक्त बरामद अपमिश्रित शराब व शराब बनाने की सामग्री को अलग–अलग सील मुहर कर नियमानुसार फर्द तैयार किया। अभियुक्त से उक्त के संबंध में प्रमाण पत्र मांगने पर नहीं दिखा सका। इस प्रकार अभियुक्त को उसका अपराध बताकर गिरफ्तार किया गया और शराब में से लगभग दो लीटर नमूना मिश्रित शराब निकाल कर कब्जा पुलिस में सर्व मुहर किया गया।

(20) इस निमित्त पत्रावली के साथ संलग्न फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 व चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। साक्षी सं० 1 वादी मुकदमा/उ०नि० दीपचन्द्र मौर्य ने अपनी मुख्य परीक्षा मे फर्द बरामदगी में उल्लिखित कथनों की पुष्टि करते हुए मुख्यतः साक्ष्य दिया है कि दिनांक 18.03.2011 को मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक वाहन मारूति सुजुकी नम्बर एम.एच. 01–पी–5936 अपमिश्रित शराब के साथ ग्राम मजौली के पास सड़क के उत्तर नीचे खेत में पलट गया और उसका चालक घायल हो गया। उक्त सूचना पर मौके पर गये तो एक व्यक्ति घायल अवस्था में खेत में गिरा पड़ा तथा उक्त वाहन भी क्षतिग्रस्त होकर पलट गया है। उक्त वाहन की तलाशी लेने पर उसमें रखे एक ड्रम में 200 लीटर ओ.पी. शराब, एक ड्रम में 200 लीटर अपमिश्रित शराब नाजायज व तीन झोले में अलग–अलग यूरिया, फिटकरी, नौसादर बरामद हुआ। उक्त घायल व्यक्ति से नमा पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कमलेश खरवार बताया और कहा कि उक्त वाहन बकरे के बचाने में पलट गया और मेरे दो साथी विजय पाल एवं धर्मेन्द्र मौर्य डर के मारे मौके से भाग गये हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त कमलेश खरवार की गिरफ्तारी के दौरान गांव के काफी लोग आ गये थे, तो उन्हें गवाही देने को कहा तो वे लोग कहे कि ये लोग शराब तस्कर हैं, इनके खिलाफ गवाही नहीं देंगे।

(21) इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि वह थाने से कितने बजे घटना स्थल पर गया था, उसे याद नहीं है। नांक से सूंघने के अलावा कोई अन्य पदार्थ या मशीन हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं था, जिससे कि हम लोग बता सके कि ड्रमों में शराब ही है, जो माल ड्रम सहित बरामद हुई।

(22) साक्षी/मुख्य आरक्षी रामकेश शास्त्री को अभियोजन की ओर से साक्षी सं० 2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि मुखबिर सूचना के आधार पर मझौली सड़क के किनारे एक वाहन पलटने व एक व्यक्ति के घायल होने पर मौके पर पहुंचे थे तथा मौके से एक ड्रम में 200 लीटर ओ.पी. शराब, एक ड्रम में 200 लीटर अपमिश्रित शराब नाजायज व तीन झोले में अलग–अलग यूरिया, फिटकरी, नौसादर बरामद होना बताया है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षा के पृष्ठ सं० 2 पर साक्ष्य दिया है कि घटनास्थल पर पहुंचे तो अभियुक्त के अलावा और कोई नहीं था। गाड़ी में हम लोग तराजू वाट माप लेकर नहीं चलते थे। गाड़ी में कोई ऐसी मशीन नहीं थी, जिससे जांच कर पता चल जाये कि ड्रम में शराब थी।

(23) पी०डब्लू० 3 रामबचन यादव, मुख्य आरक्षी, जो कि प्रकरण के प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक है, ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वादी मुकदमा/एस.ओ. संदीप सिंह व एस.आई. दीपचन्द्र मौर्य के हस्तलेख में तैयार फर्द के आधार पर चिक व कायमी जी.डी. को तैयार करना बताया है और उन प्रपत्रों को साबित भी किया है। इस साक्षी से की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी ने साक्ष्य दिया है कि बरामद माल उसके सामने सील नहीं हुआ था।

(24) अभियोजन की ओर से पी०डब्लू 4 के रुप में उप०नि० रामबहादुर यादव को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने इस प्रकरण की विवेचना ग्रहण कर वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन होने पर उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया और उन प्रपत्रों को साबित भी किया है।

(25) बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये समस्त साक्षी पुलिस कर्मचारी है तथा उनके साक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि मौके पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गये थे परन्तु अभियोजन की ओर से किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसके फलस्वरूप समस्त अभियोजन कथानक अपने आप में ही दूषित हो जाती है। अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का विरोध किया गया है।

(26) इस निमित्त प्रस्तुत प्रकरण में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा/उप०नि० दीपचन्द्र मौर्य ने फर्द में उल्लेख किया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के समय गांव के तमाम लोग आ गये थे लेकिन गवाही देने से मना कर दिये। उक्त

साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में भी उक्त आशय का साक्ष्य दिया है, वहीं दूसरी तरफ साक्षी पी.डब्लू. 2 रामकेश शास्त्री (मुख्य आरक्षी) ने अपने प्रति परीक्षा में बयान दिया है कि जब हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो अभियुक्त के अलावा और कोई नहीं था।

(27) इस अनुक्रम में पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित है कि इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल चार साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है तथा परीक्षित कराये गये समस्त साक्षी पुलिस कर्मचारीगण है तथा उन्हें तथाकथित घटना की तिथि व समय को मुखबिर खास के सूचना पर गये थे। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये समस्त साक्षियों ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि मौके पर लोग की भीड़ इकट्ठा हो गयी थी परन्तु पत्रावली पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया है।

(28) यद्यपि कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने श्रृंखलाबद्ध निर्णयों में यह मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किया है कि पुलिस से संबन्धित साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन तथ्यगत साक्षियों के सापेक्ष ही किया जाना चाहिये लेकिन अभियोजन को यथासंभव प्रयास करके स्वतंत्र साक्षियों को भी परीक्षित कराने का ईमानदारी से यत्न किया जाना भी अपेक्षित है जबकि पुलिस द्वारा यांत्रिक व पारंपरिक रूप से स्वतंत्र साक्षियों को परीक्षित कराये जाने हेतु लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप समस्त अभियोजन कथानक अपने आप में ही दूषित हो जाती है।

(29) इस निमित्त विधि निर्णय **गोविन्द बाजपेई तथा अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य 2005(2) ए०सी०आर० 1246** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की है कि यदि बरामदगी के समय जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है तो अभियोजन कहानी संदिग्ध मानी जायेगी।

(30) विधि निर्णय **मकरंद सिंह तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य, निर्णीत 07 जनवरी, 2022 व हिमांचल प्रदेश राज्य बनाम सुख राम 2003 सी.आर.एल.जे 219(एच.पी.)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया किः–

इस अध्याय के अन्तर्गत तलाशी लेने से पहले, अधिकारी वे व्यक्ति हैं जो ऐसा करने वाले हैं, उन्हें उस इलाके के दो या दो से अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को बुलाना होगा, जहां तलाशी की जाने वाली जगह अवस्थित है, वे किसी अन्य इलाके के हैं, यदि उक्त इलाके में ऐसा कोई निवासी नहीं है। स्थानीय लोग तलाशी में शामिल होने और गवाह बनने के लिए उपलब्ध हैं या इच्छुक हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें या उनमें से किसी को लिखित में आदेश जारी कर सकते हैं,

इसके अभाव में धारा 100(4) दं.प्र.सं. के प्राविधान का परिपालन नही माना जायेगा, मात्र चार पुलिस अधिकारियों के साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना विधियुक्त नही है, जैसा कि पाल सिंह बनाम दिल्ली ने 1998 एससीसी आपराधिक 641 में रिपोर्ट किया था।

(31) माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में विधि निर्णयों में स्पष्ट रूप से संप्रेक्षण व्यक्त किया गया है कि अभियोजन को पूर्णतः ईमानदारी के साथ यत्न करके सार्वजनिक साक्षियों को भी परीक्षित कराये जाने का वास्तविक यत्न किया जाना चाहिये और साक्षियों द्वारा साक्ष्य हेतु मात्र मना करने के तथ्य को यांत्रिक भाव से अपने इन विधिक कर्तव्यों की इतिश्री किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

(32) प्रस्तुत प्रकरण में जनता का कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जनता के किसी साक्षी का न होना कथित बरामदगी की घटना को संदेहात्मक बनाता है और घटना के किसी जन साक्षी के अभाव में कथित गिरफ्तारी एवं बरामदगी की घटना संदिग्ध हो जाती है।

(33) इस प्रकार अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के पास से बरामद अपमिश्रित शराब व अपमिश्रित बनाये जाने की सामग्री से किस प्रकार से अपायकर शराब बनाया गया और वह किस प्रकार मानव के लिये हानिकारक है, के संबन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त शराब को अभियुक्तगण द्वारा अपमिश्रित किया गया था तथा इस अपमिश्रण से पेय के रूप अपायकर बना दिया था, साबित नहीं है, जिसके कारण अभियोजन ने अभियुक्तगण कमलेश खरवार, धर्मेन्द्र मौर्य एवं रामविजय पाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम एवं धारा 272, 273 भा.दं.सं. संदेह से परे साबित करने में सर्वथा असफल रहा है।

(34) विधि निर्णय **मथुरा प्रसाद और अन्य प्रति मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1992** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने मे असफल रहता है तो अभियुक्त दोषमुक्त का अधिकारी होगा।

(35) उपर्युक्त तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षीगण के साक्ष्य मूल्यांकन से अभियुक्तगण कमलेश खरवार, धर्मेन्द्र मौर्य एवं रामविजय पाल के विरूद्ध लगाये गये कथित अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित न होने के नाते अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 272, 273 भा०द०सं० व धारा 60 आबकारी अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **कमलेश खरवार, धर्मेन्द्र मौर्य एवं रामविजय पाल** को मुकदमा अपराध सं० 141/2011, धारा 272, 273 भा०द०सं० व धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना–हलधरपुर, जिला–मऊ के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दं.प्र.सं के प्राविधानों के अनुपालन में मु० 20,000/-रू(**बीस हजार रूपये**) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के **दो प्रतिभू** इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उन्हें आहूत किया जाता है तो वे वहां उपस्थित होंगे। यह बन्धपत्र इस निर्णय की तिथि से छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेगा।

माल मुकदमा(यदि कोई हो) अपील न किये जाने की दशा में, अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार निस्तारित किया जाये और यदि अपील की जाती है, तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार माल मुकदमा का निस्तारण किया जाये।

दिनांकः-18.06.2026 **(बाकर शमीम रिज़वी)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1, मऊ।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः-18.06.2026 **(बाकर शमीम रिज़वी)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1, मऊ।